कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-34/2016-17/

दिनांक : /11/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, सहसपुर

जिला- देहरादून

विषय : क्षेत्र पंचायत खानपुर का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **04** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 26/2016-17/ **दिनांक: /08/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, देहरादून

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये क्षेत्र पंचायत सहसपुर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री डी.एल.कोषवाल - प्रभारी, खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री बी.एस.चन्देल, (व.ले.प.अ.)
(ii) श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ.
(iii) श्री एस.के. वर्मा (स.ले.प.अ.)

(स) संप्रेक्षा तिथि 2014-15 से 2015-16 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 09-08-2016 से 17-08-2016 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **क्षेत्र पंचायत सहसपुर**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो:- क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या

(ब) उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र :--

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक: 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 42

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 300 (लगभग)

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :

(अ) सामान्यः -420.18 लाख

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, सहसपुर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री बी.एस.चन्देल, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण मे श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री एस.के.चौहान, स.ले.प.अ. एवं श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 09.08.2016 से 17.08.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

	अनिस्तारित-	
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4(ब)-1**	**भाग 4(ब)-2**
स्था.निकाय/प्र.सं.65/2013-14	प्रस्तर -01 से 03	प्रस्तर -01से 07

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:-

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर-3 इन्दिरा आवास योजना (IAY) अंतर्गत ₹` 58.52 लाख की धनराशि के व्ययोपरांत भी योजना के लाभ से लाभार्थियों को वंचित रहना।

इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले आवासविहीन उन परिवारों को, जिनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है, उन्हे आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। उक्त योजना के तहत भवन निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक लाभार्थी को दो किश्तों में ₹` 45,000- की धनराशि देय थी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासों में शौचालय निर्माण करना आवश्यक था। प्रथम किश्त जारी होने के नौ माह के अंदर लिंटर तक का कार्य पूर्ण किया जाना था तथा दूसरी किश्त जारी होने के नौ माह के अंदर सम्पूर्ण कार्य पूर्ण किया जाना था।किसी भी तरह से सम्पूर्ण कार्य दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना था तथा खंड विकास कार्यालय स्तर से अधिकारियों द्वारा आवासों का निरीक्षण कर सत्यापित किया जाना था।

उक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत में वर्ष 2012-13 में 136 लाभार्थियों का चयन किया गया था, जिन्हें प्रथम किश्त के रूप में ₹ ₹` 41,000- की धनराशि का भुगतान किया गया था। इनमें से 67 लाभार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया था एवं न ही उन्हें द्वितीय किश्त जारी की गयी थी।उक्त 67 लाभार्थियों द्वारा कार्यपूर्ति सम्बन्धी कोई प्रमाण अभिलेखों में नहीं थे।

आगे, जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत स्तर से किसी तरह के भौतिक सत्यापन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी जिसके कारण आवासों के निर्माण की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उक्त योजना में ₹ ₹` 61.20 लाख (136 * ₹₹` 45,000) के सापेक्ष ₹₹` 58.52 लाख (136 * ₹₹` 41,000+ 69* ₹ ` 4,000) की धनराशि व्यय की गयी थी एवं 67 लाभार्थियों (49%) को द्वितीय किश्त ₹₹` 2.68 लाख (67*₹₹ `4,000) न देने के कारण योजना अधूरी थी। इस प्रकार समय बीतने के साथ-साथ अर्धनिर्मित निर्माण कार्य के क्षरण/नष्ट होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा बताया गया कि आवासों को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्य की प्रगति के सम्बंध में जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी तथा यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धनराशि आवंटन के तीन से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी इकाई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी जोकि विभाग की उदासीनता का द्योतक है जिसके कारण उक्त योजना के लाभ से लाभार्थियों को वंचित रहना पड़ा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4 (ब)-2</u>

प्रस्तर 4- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MPLADS) योजना अंतर्गत आगणन एवं माप पुस्तिका से भिन्न ₹₹` 3.00 लाख का समायोजन बिल प्रस्तुत किया जाना।

लोक निर्माण लेखा संहिता के अनुसार, किसी भी कार्य को सम्पादित करने के लिए आगणन तैयार किया जाता है और कार्य सम्पादित होने के उपरांत कार्य के माप की प्रविष्टि माप पुस्तिका में की जाती है। तदोपरांत माप पुस्तिका के अनुसार ही भुगतान हेतु बिल तैयार किया जाता है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MPLADS) योजना अंतर्गत ग्राम छोटी भितरली में सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु कार्य योजना की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी, जिसकी लागत ₹`₹ 3.00 लाख थी। स्वीकृति के अनुसार, कार्य हेतु मद का विवरण निम्नवत है:

1,500 मीटर लम्बाई में 2.5 मी.चौड़ाई में कटिंग का कार्य जोकि स्थल के अनुसार 2.00 मी. ऊंचाई तक रखी गई है: मात्रा: 7,500 घन मीटर, दर: ₹₹` 40.23 प्रति घन मी.: कुल लागत: ₹₹` 3,01,725-

उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 29.01.2015 को कार्यादेश जारी करने के उपरांत दिनांक 04.02.2015 को ₹₹` 2.20 लाख का अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया था। योजना की तकनीकी स्वीकृति में कार्य के निष्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर, कार्य को मस्टर रोल के आधार पर श्रमिकों से कराया गया था, जिसका भुगतान सम्बंधित कार्याधिकारी द्वारा निम्न प्रकार किया गया था-

1) 05 से 28 फरवरी 2015 : ₹₹` 89,856
   01 से 31 मार्च 2015 : ₹₹` 1,16,064
   01 से 31 मार्च 2015 : ₹`₹ 92,196
   योग : ₹₹` 2,98,116 — 1,191 मानव दिवसों के विरुद्ध किया गया भुगतान (प्रपत्र डी.पी.सी.-9 के अनुसार)
2) साईन बोर्ड : ₹ ₹` 2,000

महायोग : ₹₹` 3,00,116 (₹₹` 3.00 लाख)

आगे, यह भी देखा गया कि माप पुस्तिका में दर्शाया गया कार्य, निष्पादन आगणन के अनुरूप था, जिसमें Hydraulic Excavator द्वारा कार्य को किया जाना दर्शाया गया था। कार्य के निष्पादन के सम्बंध में कोई निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली में उपलब्ध नहीं था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्य को आवश्यकतानुसार कराया गया है जिसकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी एवं कार्य की रीति में परिवर्तन के आदेश प्राप्त करने सम्बन्धी अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि आगणन एवं माप पुस्तिका से भिन्न समायोजन बिल प्रस्तुत करना कार्य के क्रियान्वयन की संदिग्धता को इंगित करता है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4 (ब)-2</u>

प्रस्तर 1- विभिन्न योजनांतर्गत विगत तीन वर्षों से ₹`₹ 5.30 लाख की धनराशि का अवरुद्ध पड़ा रहना एवं अनुदान पंजी में प्राप्ति/व्ययों के अवशेष में ₹₹` 9.43 लाख का भिन्नता होना।

(1) वित्तीय नियमानुसार, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशियों का पूर्ण उपभोग न किए जाने की स्थिति में अवशेष धनराशियों को शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

इकाई की अनुदान पंजी की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनान्तर्गत ₹₹` 5.30 लाख की धनराशि (मार्च 2016 को) विगत तीन वर्षों से अवरूद्ध पड़ी थी जोकि इन्दिरा आवास योजना, बोक्सा आवास योजना, प्र.वि.पैकेज़ भूस्खलन की अवशेष राशि से सम्बंधित था***(अनुलग्नक-1)***।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि इस सम्बंध में अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि तीन वर्षों से अनुपयोगी पड़ी धनराशि को राजकोष में जमा करा देना चाहिए था।

(2) अनुदान पंजी भाग-तीन के अवलोकन में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2013-16 के मध्य विभिन्न योजनाओं के प्राप्ति/व्ययों के अवशेष में निम्नानुसार भिन्नता थी:

(₹₹`लाख में)

वित्तीय वर्ष/माह	**प्रा.अवशेष**	**अंतिम अवशेष**	**पंजी के अनुसार अवशेष**	**अंतर**
दिसम्बर 2015	24.65	32.17	22.74	(-)9.43
जनवरी 2016	32.17	28.83	19.40	(-)9.43
फरवरी 2016	28.83	16.16	21.28	(+)5.12
मार्च 2016	21.28	19.93	19.93	-

उक्त भिन्नता के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ₹₹` 9.43 लाख की धनराशि बैंक पासबुक में जमा नहीं हुई थी लेकिन धनराशि की प्रविष्टि लेजर में की गयी है जिसका समाधान दूसरे माह कर दिया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उक्त समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>अनुलग्नक-1</u>

अनुदान पंजी के अनुसार अव्ययीत धनराशि का विवरण

(₹₹`लाख में)

योजना का नाम	**मार्च 2014**	**मार्च 2015**	**मार्च 2016**	**फरवरी 2016 में व्यय**
इन्दिरा आवास योजना	20.37	20.44	NIL	20.44
बोक्सा आवास योजना	1.37	1.37	NIL	1.37
प्र.वि.पैकेज़ भूस्खलन	0.08	0.08	NIL	0.08
क्षे.पं.वि.निधि	0.29	0.29	0.29	योग 21.89
केंद्रीय वित्त आयोग	0.57	0.57	0.57	
दीनदयाल आवास	2.37	2.37	2.37	
दीनदयाल आवास (ब्याज)	0.83	1.15	1.38	
इन्दिरा आवास योजना (ब्याज)	3.86	4.48	0.45	
भवन किराया	0.24	0.24	0.24	
राष्ट्रीय बायोगैस योजना	0.90	0.90	NIL	
योग	**30.88**	**31.89**	**5.30**	

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2- विधायक निधि योजना पर ₹₹` 24.50 लाख का अनियमित व्यय तथा ₹₹` 5.80 लाख की स्वीकृति धनराशि के तीन कार्यों का अपूर्ण रहना एवं इसके सापेक्ष ₹₹` 4.00 लाख की अग्रिम धनराशि का असमायोजित रहना।

विधायक निधि के अंतर्गत जारी किए गए निधियों के साथ निर्देश संख्या 6, 8, 9, 10 एवं 12 में स्पष्ट उल्लिखित था कि कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख को जिला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना, कार्यादेश जारी होने के 90 दिनों के भीतर कार्य को पूर्ण किया जाना, उक्त कार्यों में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जाना तथा कार्यस्थल का फोटो कार्यारम्भ एवं कार्य समाप्ति दोनों के उपरांत संलग्न किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय नियमानुसार, कार्यों के सापेक्ष देय अग्रिम का समायोजन यथाशीघ्र कर लिया जाना चाहिए।

विधायक निधि, सांसद निधि एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत सम्पादित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि तीन कार्यों जिसकी स्वीकृत धनराशि ₹`₹ 5.80 लाख थी, के सापेक्ष ₹₹` 4.00 लाख का अग्रिम दिया गया था ***(अनुलग्नक-2.1)***। आगे, जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक न तो कार्यों को पूर्ण कराया गया था और न ही अग्रिम का समायोजन किया गया था।

योजना के अंतर्गत सम्पादित कार्यों की नमूना जांच में पाया गया कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा कार्य से सम्बंधित अभिलेखों का रख-रखाव भी ठीक नहीं था। साथ ही, प्रक्रियाओं/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था, जिसका विवरण **अनुलग्नक- 2.2** में उल्लिखित है।

इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा तथा अग्रिम का समायोजन कर लिया जाएगा एवं समस्त प्रक्रियाओं/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि कार्यों को 90 दिनों के भीतर पूर्ण कर अग्रिमों को समायोजित कर लिया जाना चाहिए था। अत्यधिक समय व्यतीत होने के साथ-साथ अधूरे कार्यों में क्षरण एवं कार्य की लागत में होने वाली वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक- 2.1

अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	कार्य का नाम	कार्यादेश का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि/अग्रिम
1.	विधायक निधि	ग्रा.पं. ई.हो.टा. चकमंशा में मदन मोहन कुकरेती एवं मधवानंद पोखरियाल आदि की भूमि तक कटाव रोकने हेतु पक्की दीवार का निर्माण	09.10.2014	₹` 1.50 लाख	₹` 1.00 लाख
2.	सांसद निधि	ग्राम सहसपुर में श्मशानघाट में चारदीवारी का निर्माण	24.03.2015	₹` 1.50 लाख	₹` 1.00 लाख
3.	राज्य वित्त आयोग	ग्रा.पं. नौगांव में जन मिलन केंद्र का निर्माण	13.08.2015	₹` 2.80 लाख	₹` 2.00 लाख
योग				**₹` 5.80 लाख**	**₹` 4.00 लाख**

अनुलग्नक- 2.2

इकाई द्वारा विधायक निधि मद के अंतर्गत सम्पादित कार्यों में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी विभिन्न कमियों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी विभिन्न कमियां
1.	ग्रा.पं. ई.हो.टा. के अंतर्गत ग्राम उम्मेदपुर में आसन नदी के किनारे श्मशानघाट का निर्माण, लागत : ₹`₹ 3.00 लाख	1. Estimate के प्रत्येक पेज पर AAE, AE एवं BDO का हस्ताक्षर न होना। 2. माप पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न न होना। 3. कार्य पूर्ण न होने पर फोटोग्राफ का संलग्न न होना। 4. Detail of measurement के साथ Detail of actual measurement का मिलान न होना। 5.बिल क्रमांक 206 दिनांक 08.02.2015 एवं बिल क्रमांक 207 दिनांक 06.02.2015 को जारी किए गए थे। इस प्रकार उक्त समायोजन बिल संदिग्ध प्रतीत होता है।
2.	ग्रा.पं. आर्केडिया ग्रांट के ग्राम केहरीगांव महिमा इंकलेव में पक्का पुल का निर्माण, लागत : ₹₹` 3.00 लाख	1. Estimate से ₹₹` 11,172- का अधिक भुगतान किया जाना। 2. Detail estimate के साथ Actual measurement का मिलान न होना।
3.	जनता इंटर कॉलेज मल्हान की बाउंड्रीवाल व सौंदर्यीकरण, लागत : ₹`₹ 3.00 लाख	1. Estimate के प्रत्येक पेज पर AAE, AE एवं BDO का हस्ताक्षर न होना। 2. Bill of quantity में मात्रा एवं दर का न लिखना एवं गणना करने से Actual bill of quantity न पता होना, Abstract of cost में Lump sum cost लिखा जाना। 3. माप करने का आधार न होना।

4.	ग्रा.पं. से.हो.टा. के ग्राम हरिपुर में प्रेमचंद गुप्ता जी के घर से महिमानन्द के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण	1. प्रार्थना पत्र पर विधायक की संस्तुति न होना।
5.	ग्रा.पं. शंकरपुर में मेन रोड से राजेन्द्र चौहान व मोहन सिंह, सत्यपाल आदि के घरों तक सी.सी. मार्ग का निर्माण, लागत : ₹`₹ 3.00 लाख	1. श्री महेश चन्द्र को किया गया भुगतान ₹₹` 4,524, श्री विनोद ; श्री नीरज/मज्जु सिंह का भुगतान ₹₹` 4,524, श्री धीरज एवं श्री सुरेन्द्र राणा/मुन्ना सिंह का भुगतान ₹ ₹` 4,524, श्री नीरज द्वारा हस्ताक्षरित था। जिससे कुल ₹ ₹` 13,572 का भुगतान अनियमित प्रतीत होता है।
6.	ग्रा.पं. अम्बीवाला में दून पब्लिक स्कूल श्यामपुर अम्बीवाला में कक्षाकक्ष का निर्माण, लागत : ₹₹` 3.00 लाख	1. माह मार्च 2015 में 1 से 28 मार्च के मध्य कोई अवकाश नहीं दर्शाया गया था जबकि 6 मार्च 2015 को होली पर्व था। अतः 6 मार्च 2015 को दिखाया गया कार्यदिवस एवं उसके सापेक्ष जनित 25 मानव दिवस संदिग्ध प्रतीत होता है।
7.	अन्य कार्य हेतु पत्थर (बोल्डर) हेतु व्यय : ₹₹` 18,756	1. अकरम सप्लायर, देहरादून के बिल क्रमांक 27 दिनांक 05.06.2014 एवं बिल क्रमांक 28 दिनांक 18.05.2014 को जारी किए गए थे। इस प्रकार उक्त समायोजन बिल संदिग्ध प्रतीत होता है।
8.	ग्रा.पं. तिलवाड़ी के ग्राम जगतपुर खादर में भूमि कटाव रोकने हेतु ब्लॉक का निर्माण (33/12), लागत : ₹`₹ 3.00 लाख प्रारम्भ तिथि: 01.12.2014 समाप्ति की तिथि: 27.04.2015	1. मस्टर रोल के समस्त स्तंभों की एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या की प्रविष्टि न किया जाना एवं उपस्थिति लेने वाले एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर न होना। 2. देयक (voucher) संख्या 367,102,64 एवं 103 कुल ₹₹` 82,488 पर TIN no. अंकित न होना। 3. कार्यपूर्ण होने पर स्थल पर बोर्ड का न लगना एवं पत्रावली में फोटो संलग्न न होना। 4. उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अंतर्गत क्रय समिति का गठन एवं सामग्री के गुणवत्ता का प्रमाण पत्र संलग्न न होना।

9.	ग्रा.पं. सहसपुर में मोक्षधाम के समीप भूमि कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण (24/02), लागत : ₹₹` 3.00 लाख प्रारम्भ तिथि: 20.10.2014 समाप्ति की तिथि: 05.01.2015	1. कार्य प्रारम्भ से पूर्व फोटो का न लगना। 2. उक्त कार्ययोजना का किसी अन्य योजना से प्रस्तावित न होने का प्रमाण पत्र संलग्न न होना। 3. देयक संख्या 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 265, 1161, 1164, 1168, 1176 एवं 1180 कुल ₹ ₹`1,58,695 पर TIN no. अंकित न होना। 4. कार्यपूर्ण होने पर स्थल पर बोर्ड का न लगना एवं पत्रावली में फोटो संलग्न न होना। 5. उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अंतर्गत क्रय समिति का गठन एवं सामग्री के गुणवत्ता का प्रमाण पत्र संलग्न न होना। 6. मस्टर रोल के समस्त स्तंभों की एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या की प्रविष्टि न किया जाना एवं उपस्थिति लेने वाले एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर न होना।
10.	ग्रा.पं. ई.हो.टा. में भगवान सिंह पहलवान सेलाकुई के घर से शेर सिंह भण्डारी के घर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण(34/18), लागत : ₹₹` 3.00 लाख प्रारम्भ तिथि: 01.12.2014 समाप्ति की तिथि: 04.02.2015	1. प्रार्थना पत्र पर विधायक की संस्तुति न होना। 2. मस्टर रोल के समस्त स्तंभों की एवं ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या की प्रविष्टि न किया जाना एवं उपस्थिति लेने वाले एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर न होना। 3. मेसर्स खलील शंकरपुर के देयकों (vouchers) कुल ₹ ₹`83,024 पर TIN no. अंकित न होना। 4. कार्यपूर्ण होने पर स्थल पर बोर्ड का न लगना एवं पत्रावली में फोटो संलग्न न होना। 5. उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अंतर्गत क्रय समिति का गठन एवं सामग्री के गुणवत्ता का प्रमाण पत्र संलग्न न होना।

कुल लागत: ₹₹` 24.00 लाख

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **क्षेत्र पंचायत सहसपुर,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0